

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

दिनांक /03/2008

क्रमांक स्था.वो/(1)/2008/

// आदेश //


श्री अंकित पाण्डेय आत्मज श्री भंवरलाल जी पाण्डेय को चयन समिति की अनुशंसानुसार उद्यानिकी सहायक के पद पर वेतनमान रु. 4000-100-6000/- पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है।

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी :-

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (सं) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि सामपित पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीवीक्षा काल अवधि में उद्यानिकी सहायक के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है, यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को आर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अर्शदान पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक- 21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार




कुलसचिव

दिनांक 29/03/2008

क्रमांक स्था.वो/(1)/2008/ 26

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. संचालक अनुसंधान सेवाएं, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मंदसौर। कृपया श्री अंकित पाण्डेय का वेतन बजट शीर्ष B (6)11, College of Horticulture, Mandasaur में उपलब्ध उद्यानिकी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन/गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. संबंधित अभ्यार्थी श्री अंकित पाण्डेय आत्मज श्री भंवरलाल जी पाण्डेय, 29, शास्त्री कालोनी श्री ओ.पी.सपाध्याय, मालगोदाम रोड़, मन्दसौर (म0प्र0) 458001। कृपया पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग से कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
8. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती।


सहायक कुलसचिव (स्था.वो)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1211

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

// आदेश //

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री अभिषेक राठौर S/o श्री अरूण कुमार राठौर, एम.आई.जी-470. न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना 476001 (म0प्र0) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।



6. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता विश्वविद्यालय में पी.ई.बी. भोपाल द्वारा जारी चयन सूची के मेरिट क्रम के अनुसार संधारित होगी।
8. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय उभय पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेंगी।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस या उसकी एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा। एक माह का वेतन तथा एक माह का नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू-राजस्व या बकाया देय राशि से वसूल की जा सकेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य है, साथ ही विहित विभागीय परीक्षा आदि नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना होगी। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं कार्यों के मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने पर म0प्र0 सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार सेवायें नियमित की जाकर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर ही वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति पद का न्यूनतम वेतन देय होगा।
11. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू किया जाये, के अधीन रहेगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में प्रविष्ट पदस्थापना स्थल से अभ्यर्थी की सेवायें परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानान्तरित नहीं की जा सकेंगी। परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात कर्मचारी की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानान्तरित की जा सकेंगी।
13. "यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में कोई नियुक्त अभ्यर्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।" कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात निर्धारित प्रपत्र में अनुप्रमाणन प्रपत्र चरित्र सत्यापन हेतु एवं संलग्न शपथ पत्र प्रारूप में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे-
 - i. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी तथा उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 - ii. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं/पुरुषों के अपराध के विरुद्ध किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी तथा उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
 - iii. चयनित अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, तो उसका/उसकी नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

Angarwal 

//3//

- iv. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निरहित नहीं होगा यदि एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तान का जन्म होता है उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
15. अभ्यर्थी के शैक्षणिक/व्यवसायिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों के प्रकरण में अनर्हता (अयोग्यता) की स्थिति प्रकट होती/बनती है, तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। जिस पर दावा पेश नहीं होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार




रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

क्र./कृ.स./स्था.दो/2019/1212

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सह संचालक अनुसंधान (बीज एवं प्रक्षेत्र), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा एवं मंदसौर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. कार्यालय कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की निहित शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें एवं वांछित उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में आपने किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति पश्चात् उपस्थित करा लिया है, जो कि नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. श्री अभिषेक राठौर S/o श्री अरुण कुमार राठौर, एम.आई.जी-470. न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुरैना 476001 (म0प्र0) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का अनापत्ति एवं कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।


उप कुलसचिव (स्था.)
रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर

// आदेश //

श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा आत्मज श्री रामखिलावन विश्वकर्मा को चयन समिति की अनुशंसानुसार इलेक्ट्रीशियन के पद पर वेतनमान रु. 3500-75-3950-80-5200/- पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्था किया जाता है।

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी :-

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोंपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि समाप्ति पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीवीक्षा काल अवधि में इलेक्ट्रीशियन के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है, यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को आर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अशदान पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-121 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

श्री/

कुलसचिव

दिनांक 29/03/2008

क्रमांक स्था.दो/(1)/2008/49

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित:-

1. संचालक अनुसंधान सेवाएं, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर। कृपया श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा का वेतन बजट शीर्ष B (6)11, College of Horticulture, Mandasaur में उपलब्ध इलेक्ट्रीशियन के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन/गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कं.स्था.दो/बी/173/2003/

// आदेश //

दिनांक /7/2003

वि.वि. के दिवंगत प्रयोगशाला परिचारक स्व. श्री रामलाल जोशी के पुत्र श्री भगवान जोशी, को म.प्र.शासन में प्रचलित नियम जो कि इस वि.वि. द्वारा अंगीकृत है के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर माली के पद वेतनमान रु. 2550-55-2660-60-3200/- पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त कर उद्यानिक्की महाविद्यालय, मंदसौर में परस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (व्यं.मा.क 21 सन 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

श्री भगवान जोशी इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित देखें, अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयंसेव निरस्त माना जावेगा।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

कुलपति

कं.स्था.दो/बी/ 173/ 2003/ 2442

दिनांक 30/7/2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित :-

1. अधिष्ठाता, उद्यानिक्की महाविद्यालय, मंदसौर। कृपया पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अनुसार अधिग कार्यवाही सुनिश्चित करें। *
2. लेखानियंत्रक, ज.ने.कू.वि.वि., जबलपुर।
3. सहायक लेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी, गोपनीय, ज.ने.कू.वि.वि., जबलपुर।
4. संबंधित व्यक्ति श्री भगवान जोशी, आत्मज स्व. श्री रामलाल जोशी, पूर्व प्रयोगशाला परिचारक, 40-ए, संगम नगर, इंदौर म.प्र.।
5. व्यक्तिगत नस्ती / सुरक्षा नस्ती / कम्प्यूटर सेल

उपकुलपति

* नोट-कृपया आवेदक का चरित्र सत्यापन जिला अधीक्षक कार्यालय से कराकर मूलप्रति अपने पास रखें तथा उसकी छायाप्रति इस कार्यालय को पहुँचायें।



कुलसचिव कार्यालय

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)

20



डी.एल.कोरी
कुलसचिव

Ph- : 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)

E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com

क्र./कु.स./श्रमिक/2021/ 4349

दिनांक 23-02-2021

//आदेश//

विश्वविद्यालय प्रमण्डल की 39वीं बैठक दिनांक 12.02.2021 के पद क्रमांक 12 में लिये गये निर्णय अनुसार एवं म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2016 एवं परिपत्र क्रमांक सी 5-1/2013/1/3 दिनांक 23 नवम्बर 2017 के अनुसार "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थाईकर्मियों को विनियमित करने की योजना" विषयक निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अभिलेखों, योग्यता एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रकार के आधार पर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निम्नानुसार विनियमितकरण किया जाकर श्रेणीवार वेतनमान निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है।-

क्र.	श्रमिक का नाम/पिता/पति/का नाम	विनियमितकरण उपरांत पदस्थापना स्थल	जन्मतिथि	नियोजन की तिथि	श्रेणी जिसमें विनियमित किया जाता है	विनियमितकरण के पश्चात देय वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कालूराम /श्री रामरतन	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	25.10.1963	01.12.1981	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
2	श्री रमेश यादव/श्री बाबूलाल	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	10.12.1965	13.04.1983	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
3	श्री बाबूलाल/श्री दिलीप सिंह	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	15.10.1968	11.01.1984	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
4	श्री जगदीश परमार/श्री गोदर सिंह	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	07.05.1965	01.12.1985	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
5	श्री नरेश बोयत/श्री कर्मचंद्र	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	04.07.1967	1985	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
6	श्री मंशा राम/श्री गोविंद	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	13.03.1972	1987	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
7	श्री राजेश/श्री छोटेलाल	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	1.11.1971	1993	अकुशल श्रमिक	4000-80-7000
8	श्री देवी सिंह/ श्री केशव सिंह	उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर	11.09.1972	23.12.1990	अकुशल श्रमिक	4500-90-7000
9	श्री महिपाल सिंह/ श्री देपा सिंह	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	10.11.1965	12.1976	कुशल श्रमिक	5000-100-8000
10	श्री सियाराम कुशवाह/ श्री रामदयाल	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	20.02.1962	01.03.1985	कुशल श्रमिक	5000-100-8000
11	श्री अभय कुमार सक्सेना/ श्री रामेश्वर दयाल	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	22.04.1966	05.1985	कुशल श्रमिक	5000-100-8000
12	श्री रामजीलाल कुशवाह/ श्री हरभजन सिंह	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	01.10.1965	01.1988	कुशल श्रमिक	5000-100-8000
13	श्री मुकेश चतुर्वेदी/ श्री बाबूलाल चतुर्वेदी	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	05.04.1966	19.08.1988	कुशल श्रमिक	5000-100-8000
14	श्री लोकेन्द्र शर्मा/ श्री मोतीराम	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	24.05.1970	05.1989	कुशल श्रमिक	5000-100-8000

Estt./DDO/Accounts/He Lab./A. Devi Singh

for n/a please

Chauhan

24.02.21

Dean
College of Horticulture
(M. P.)

Seen
2021

// आदेश //

श्री धर्मेन्द्र कुमार पाटीदार आत्मज श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार को चयन समिति की अनुशंसा अनुसार उद्यानिकी सहायक के पद पर वेतनमान रु. 4000-100-6000/- पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दासौर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है।

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी :-

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि सामप्ति पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीवीक्षा काल अवधि में उद्यानिकी सहायक के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है, यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को आर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शप लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति का सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अशदान पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवाएं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना में स्थानान्तरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक- 21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

2/3/08

कुलसचिव

दिनांक 29 /03/2008

क्रमांक स्था.दो/(1)/2008/34

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित:-

1. संचालक अनुसंधान सेवाएं, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मन्दासौर। कृपया श्री धर्मेन्द्र कुमार पाटीदार का वेतन बजट शीर्ष B (6)11, College of Horticulture, Mandasaur में उपलब्ध उद्यानिकी सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक-मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/पेंशन/गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (व्यवस्थापन), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर

क्रमांक-स्था0-दो/90/2310/

दिनांक : 27.5.70

//आदेश//

विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रू. 725-10-755-12-855-15-900 के टाइम स्केल में अत्याधी कर्मचारी के रूप में भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. श्री कपूरी भाल/रागरतन

यह आदेश विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक परीक्षण में सेवा के योग्य पाए जाने एवं आयु के सत्यापन तथा विश्व-विद्यालय पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के सत्यापन के अधीन होगा। इस टाइम स्केल पर होने वाला व्यय आकस्मिक निधि के उभी शर्तों से भुगतान किया जाएगा जहां इस समय इनकी मजदूरी विकसित की जाती है। इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से टाइम स्केल के न्यूनतम अर्थात् रू. 725/- प्रति माह पर भुगतान किया जाता है और इसी दर पर ही नियमित सेवा के उपरांत ही नियमानुसार प्रथम वार्षिक वृद्धि की प्राप्ति होगी।

यदि जांच के उपरांत यह पाया गया कि इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित सेवा की कमी हुई तिथि नहीं है अथवा इनके कार्य एवं चरित्र के बारे में असुरक्षित जानकारी नहीं मिली, तो यह आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

कुलपति के आदेशानुसार,

४ वडी0 पी0 श्रीवास्तव ४
कुलपति

(2)

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR

Estt/83/ 93 / Jabalpur, dt. the 5th / January, 83

O R D E R

On the recommendations of the Selection Committee, following persons are appointed as Driver in the scale of Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300/- temporarily until further orders at the places shown against each :-

Name of the persons	Place of posting	Budget head
Shri Ram Prasad Vishwakarma	Jabalpur	C.2-Res.(ICAR)-42-Coordinated Scheme on Energy Requirement.
2. Shri John Masih	Dindori	C.2-Res.(ICAR)-(83)-Operational Res. Project for Development of Tribal Area (vice Shri Hari Singh)
Shri Badri Prasad	Jabalpur	C.6(A)-Intensive Agril. Extn. & Res. Project- Office of Director Research, Jabalpur.
4. Shri Ram Sipahi	Jabalpur	C-2-Res.-(ICAR)-36-AICR Project on Cattle- Krishi Nagar Farm Adhartal (Fodder Unit).
5. Shri Pramod Anand	Waraseoni (attached to Director Extension) at Jabalpur)	C.2-Res.(ICAR)-National Demonstration on Major Food Crops.
6. Shri Radheshyam	Mandsaur	C.6(A)-Intensive Agril. Extn. & Res. Project, Mandsaur.
7. Shri A.K. Bhondale	Betul	C.2-Res.(ICAR)-(16)-E.C.F. Scheme, Betul (vice Shri F. Vinay Kumar)
8. Paramlal Yadav	Tikamgarh	C.2-Res.(ICAR)-(103)-N.A.R.P. Tikamgarh.
9. Shri Shankarlal	Ambikapur	C.2-Res.(ICAR)-(112)-N.A.R.P. Ambikapur.

2. The appointments are subject to the conditions attached.

3. The candidates should join their post latest by 31st January, 1983 else the order will stand cancelled.


Contd.....2

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था./अ.नियु./2020/1345

दिनांक: / / 2020

आदेश



म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री मदनलाल चौहान, कृषि प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कृषि महाविद्यालय इन्दौर का आकस्मिक निधन दिनांक 11.07.2019 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री राजेश चौहान (अनुसूचित जाति) की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (वेतनमान लेवल-4) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं हैं। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे।
उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात् चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जावेंगे।

समाप्ता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

सं.सं-दो/2016/5390

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

// आदेश //


समाप्ता समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री राजेश कुमार गुप्ता, सुरेश चन्द्र गुप्ता, 25, पारख कॉलोनी, स्टेशन रोड, मन्दसौर 458001 (म.प्र.) को कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर वेतनमान रु. 4000-100-6000 (Revised Pay Scale PB 5200-20200+GP 2400) पर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर के अंतर्गत सूचना एवं मुद्रण केन्द्र में लिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्ति कर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी। तत्पश्चात ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तें तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 01 जनवरी 2005 प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी इकाई/योजना को स्थानांतरित की जा सकेगी।
- (झ) नियुक्ति उपरांत, आवेदक की नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी या गलत पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार



(एम.आर. जाधव)
कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5391

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/योजना एवं प्रक्षेत्र विकास, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर कृपया नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार श्री राजेश कुमार गुप्ता के सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच उपस्थिति लेने के पूर्व अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री राजेश कुमार गुप्ता S/o श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, 25, पारख कॉलोनी, स्टेशन रोड, मन्दसौर 458001 (म.प्र.) की ओर पालनार्थ, पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग का कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/आदेश/सुरक्षा नस्ती।



उप कुलसचिव (स्था.)

श्री शांतिया वसूनिया आत्मज श्री वसतिस्ता, निवासी रतलाम को आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/कैरीफार्वड पदों को पूर्ण हेतु विशेष धर्ती अधियान के अंतर्गत चयन समिति को अनुरासा पर इलेक्ट्रीशियन के पद वेतनमान रु. 3500-5200/- में अस्थई रूप से नियुक्त कर उनकी पदस्थापना कृषि महाविद्यालय, रीवा में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परिवर्तन अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकार में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है। तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठ: क्रमांक-स्वा.दो/(1) वि.भ.अ./2003/ 2247

दिनांक 16-7-2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिपित :-

1. संबंधित संचालक/अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रीवा। कृपया श्री वसूनिया का वेतन वजट शीर्ष B-a-6 College of Agriculture, Rewa में उपलब्ध इलेक्ट्रीशियन के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों को जांच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लखा नियंत्रक, ज.न.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.न.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. नाननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.न.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. संबंधित व्यक्ति श्री शांतिया वसूनिया आत्मज श्री वसतिस्ता, मोरा कुटी के पीछे, म.न. 205 गांधी नगर, रतलाम म.प्र.।
7. व्यक्तिगत नस्ती/मुद्रा नस्ती कम्प्यूटर प्रकांड।

कुलसचिव

क्रमांक/कु.स./स्था.दो/2014/2414

दिनांक: 31/10/2014

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री ओंकार लाल धनगर, वाहन चालक (कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, मन्दसौर का आकस्मिक निधन दिनांक 30.08.2011 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री विनोद धनगर को अनुक्रमण नियुक्ति भृत्य पद पर पे बैंड रू. 4440-7440 + ग्रेड पे रू. 1300 में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर, बजट शीर्ष B(6) उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर में पदस्थ किया जाता है।


492
3-11-14

नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं-

- (1) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना होगी।
- (2) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी के द्वारा त्याग पत्र देने की स्थिति में एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य है।
- (3) कार्य पर उपस्थिति के समय समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) उपरोक्त पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के 30 (तीस) दिवस में अनिवार्यतः उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सेन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार



(एच.एस. मेहर)
कुलसचिव

क्रमांक/कु.स./स्था.दो/2014/2415

दिनांक: 31/10/2014

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/पेंशन/बजट/स्थापना/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री विनोद धनगर पुत्र स्व. श्री ओंकार लाल धनगर द्वारा अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर।
7. निज सचिव माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत नस्ती/सुरक्षा नस्ती



कुलसचिव

ESTH

31/10/14

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2016/3424,

दिनांक: 27/1/2016-

आदेश


म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री रमेश शिन्दे, कृषि विस्तार अधिकारी, बाराणी कृषि परियोजना, कृषि महाविद्यालय, इन्दौर का आकरिमक निधन दिनांक 19.06.2015 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री यशदीप शिन्दे की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक वर्ग-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200 + ग्रेड पे रु. 1900 में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिचीक्षा अवधि पर की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर में जाती है।

नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं-

1. कार्य पर उपस्थिति के समय समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के पश्चात् किसी भी अवस्था में आपके द्वारा दी गई जानकारी, दरतावेज, शपथ पत्र आदि असत्य पाये जाते हैं तो आपकी अनुकम्पा नियुक्ति वगैर सूचना के समाप्त की जायेगी।
2. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयबद्धि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षय पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
3. उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
4. अनुकम्पा नियुक्ति के पश्चात् कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से 03 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस अवधि के व्यतीत होने पर भी वांछित परीक्षार्थ उत्तीर्ण न करने पर आपकी सेवार्थ समाप्त की जा सकेंगी।
5. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी के द्वारा त्याग पत्र देने की स्थिति में एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य है।
7. उपरोक्त पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के 30 (तीस) दिवस में अनिवार्यतः उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


(एम.आर. जाटव)


कुलसचिव

दिनांक: 27/1/2016

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/2016/3425,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर लेख है कि आवेदक के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से कर एवं नियुक्ति पत्र की शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे।
3. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/पेंशन/बजट/स्थापना/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. श्री यशदीप शिन्दे पुत्र स्व. श्री रमेश शिन्दे द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, इन्दौर।
5. निजसचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. आदेश नस्ती/सुरक्षा नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।


कुलसचिव

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/02/2011/

दिनांक : 06.08.2011

आदेश


विश्वविद्यालय के दिवंगत कार्यक्रम सहायक (कम्प्युटर) स्व. श्री कमलेश बामनिया की पत्नि श्रीमति प्रमिला बामनिया को म.प्र. शासन में प्रचलित नियम जो कि इस विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत है, के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर सहायक वर्ग-3 के पद पर पे बैंड में वेतन ₹ 5200-20200 ग्रोड पे ₹ 1900 पर अनुसूचित जाति के अंतर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर नियुक्त कर बी (6) कॉलेज ऑफ हार्टीकल्चर, कं.एन.के. उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, गोपाल पत्र क्र. सी. 3-4/1/3/06, दिनांक 18 अगस्त, 2008 के बिन्दु क्र. 6 के उपबंध क्र. 6.5 के प्रावधानानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त सहायक वर्ग-3 को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना तीन वर्ष की समयावधि में अनिवार्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उरो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

श्रीमति प्रमिला बामनिया इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपरिधति दें, अन्यथा यह आदेश बिना किसी अन्य सूचना के स्वमेव निरस्त माना जायेगा।



माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक . 06.08.2011

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/02/2011/ प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कं.एन.के. उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर। कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-
 1. आवेदक के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्रों से करने का पूर्ण दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।
 2. आवेदक का चरित्र सत्यापन जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराकर मूलप्रति अपने पास रखें तथा उसकी छायाप्रति इस कार्यालय को भेजें।
 3. आवेदक को पदभार ग्रहण करने के पूर्व विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
4. उपलेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/गोपनीय/पेंशन/बजट एवं वित्त, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्रीमति प्रमिला बामनिया पत्नि स्व. श्री कमलेश बामनिया, जी-2, बी.टी.आई. त्वाटर, मंदसौर।
7. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. सुरक्षा नस्ती,

E-form 11
10/8/11

कुलसचिव